न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 195/2016 दायर दिनाँक 30.12.2016

वादी		प्रतिवादी
1. इन्द्रचन्द पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी पदमनियाबास डीडवाना जरिये आम मुख्त्यार सुनिल पुत्र इन्द्रचन्द निवासी पदमनियाबास डीडवाना तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री समदर सिंह नाथावत वकील वादी।
2. तहसीलदार उपस्थित

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 12.11.2021

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वर्तमान खेत खसरा सं0 313 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद शेखाबासनी अवस्थित है। इन खसरा की भूमि वर्तमान में राजस्थान सरकार (महकमा कस्टोडियन) के नाम दर्ज है।

वर्तमान खेत खसरा सं0 313 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद शेखाबासनी जिसके साबिक खसरा सं0 245 रकबा 14 बीघा वाके सरहद शेखाबासनी रहे, वादी का पैतृक कब्जाकाश्त का बन्ट में आया हुआ है जिस पर वादी के दादा स्व0 हरपाल पुत्र दलाराम ने सम्वत 2010 के पूर्व से अपने जीवन पर्यनत काबिज रहे वादी के दादा हरपाल का स्वर्गवास होने पर इस खसरा की भूमि पर स्व0 हरपाल के एक मात्र पुत्र भंवरलाल वादी के पिता काविज हुए और भंवरलाल पुत्र हरपाल ने अपने पेतृक कब्जाकाश्त की भूमि को जरिये बंटवारा दिनांक 23.05.2015 के वादी को बन्ट में दे दिया।

खसरा सं0 313 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद शेखाबासनी जिसके साबिक खसरा सं0 245 रकबा 14 बीघा वाके सरहद शेखाबासनी थे वक्त जागीर के किसी जला वन्द कालू देशवाली सा0 शेखाबासनी की बापी में अंकित था। जिस पर काबिज काश्तकार रहीम पुत्र पीरू देशवाली था। जिसने इस खसरा की भूमि का वक्त जागीर [illegible] दादा [illegible] पुत्र दलाराम को सुपुर्द कर दिया। जिसकी लिखा पढी वादी के [illegible] हरप[illegible] के हक में दिनांक 02.05.1959 को कर दी। छायाप्रति लिखापढी दिनांक 0[illegible]1959 दावा के साथ प्रस्तुत है।

वर्तमान खसरा संख्या खसरा सं0 313 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद शेखाबासनी जिसके साबिक खसरा सं0 245 र[illegible] 14 बीघा वाके सरहद शेखाबासनी थे, के तत्कालिन बापीदार जला वल्द कालू देशवाली के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:07:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with CamScanner

पाकिस्तान चले जाने से इस खसरा की भूमि की खातेदारी महकमा कस्टोडियन विभाग के नाम से अंकित कर दी गई, मगर इस खसरा पर लगातार कब्जा काश्त वादी के दादा हरपाल का उसके जीवन पर्यनत रहा। रि सेटलमेन्ट के वादी के दादा हरपाल को संवत 2012 में सिकमी काश्तकार तो अंकित कर दिया मगर खातेदारी अंकित नहीं हुई। वादी के दादा को सिकमी काश्तकार अंकित करने की पुष्टी खसरा पत्रांक रि सेटलमेन्ट से प्रमाणित है।

उक्त खसरा की भूमि की खातेदारी कस्टोडियन विभाग के नाम से अंकित हो गई। मगर इस खसरा की भूमि पर काबिज काश्तकार ने इसका मुआवजा वक्त जागीर के वादी के दादा हरपाल से प्राप्त करके कब्जा सुपुर्द कर दिया था और तत्पश्चात वर्ष 1976 में कस्टोडियन विभाग ने अंकित काबिज काश्तकार को खातेदारी देने के लिए इस खसरा की कीमत व लगान की राशि रू0 335 की कुर्की जारी कर दी जो वादी के दादा ने जरिये चालान दिनांक 29.091976 को अदा कर दी मगर किन्ही परिस्थितियों के कारण सेल सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सका।

नियमानुसार कस्टोडियन विभाग को राशि जमा करवा देने के बावजुद उक्त खेत की सेल डीड जारी नहीं होने से खातेदारी कस्टोडियन विभाग के नाम ही अंकित रही तथा कब्जाकाश्त निरन्तर काबिज काश्तकार हरपाल व उसके उत्तराधिकारियों का चला आ रहा है जबकि राजस्थान पुनर्वास विभाग के निष्क्रान्त कृषि भूमि से संबंधित अधिनियमों को परिपत्र क्रमांक एफ–2(15) राजस्व/पुनर्वास/09 जयपुर दिनांक 06 अक्टुबर 2009 के अनुसार निरस्त कर दिया गया है। इस परिपत्र के अनुसार जो व्यवस्थायें दी गई है उनके अन्तर्गत वादी के पैतृक कब्जाकाश्त के बंट में आये उक्त खेत की खातेदारी अपने नाम से घोषित करवाने का अधिकारी है। अतः वादी को यह दावा घोषणा खातेदारी का करना लाजमी आया है।

प्रार्थना वादी है कि पैतृक कब्जाकाश्त में चले आ रहे वर्तमान खेत खसरा सं0 313 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा वाके सरहद शेखाबासनी जिसके साबिक खसरा सं0 245 रकबा 14 बीघा की खातेदारी वादी के नाम से घोषित की जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी वादी के नाम से अमल दरामद करवाई जावें।

वादी का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। राज्य सरकार की तरफ से तहसीलदार डीडवाना ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा शेखाबासनी के खसरा सं0 313 रकबा 14.08 बीघा सरकार भूमि है जिस का वादी खातेदारी अधिकार पाने का अधिकारी नहीं है। इसलिए वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद मय खर्चा खारिज किया जावें।

पत्रावली में निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया, वादी वाके सरहद शेखाबासनी के खसरा सं0 313 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा जिसके साबिक खसरा सं0 245 रकबा 14 बीघा का पैतृक कब्जा काश्त अनुसार घोषणा खातेदारी कराने का अधिकारी है।

–जिम्मे वादी

2. आया, वादी वाके सरहद शेखाबासनी के खसरा सं0 313 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा जिसके साबिक खसरा सं0 245 रकबा 14 बीघा में वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

–जिम्मे वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:07:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with CamScanner

3\. आया, वाके सरहद शेखाबासनी के खसरा सं0 313 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा जिसके साबिक खसरा सं0 245 रकबा 14 बीघा सरकारी भूमि होने से खारिज कराने लायक है।

—जिम्मे प्रतिवादी,

4\. अनुतोष?

साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र पेश हुआ। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श—1 खसरा पत्रक, प्रदर्श—2 खतौनी संवत 2059 से 2062, प्रदर्श—3 जमाबन्दी संवत 2016, प्रदर्श—4 खसरा गिरदावरी संवत 2011 से 2021, प्रदर्श—5ए चालान की प्रति, प्रदर्श 6ए खतोनी, प्रदर्श 7 नविन जमाबन्दी प्रदर्शित हुए।

बहस सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया।

प्रतिवादी ने अपने साक्ष्य में कोई साक्ष्य सबुत पेश नहीं किये। दस्तावेजी साक्ष्य से वादी तनकी संख्या 01 व 02 अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे है। अतः तनकी संख्या 01 व 02 वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है। चुंकि प्रतिवादी ने सरकारी भूमि होने के कोई साक्ष्य सबुत पेश नहीं किये है। अतः तनकी संख्या 03 प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

अतः तर्को पर मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोकनोपरान्त वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः, बाद विवेचन, वादी का दावा डिक्री सादिर किया जाता है।

—:आदेश :—

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाके सरहद शेखाबासनी के खसरा सं0 313 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा जिसके साबिक खसरा सं0 245 रकबा 14 बीघा की खातेदारी वादी इन्द्रचन्द पुत्र भंवरलाल के घोषित की जाती है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक [illegible].2021 को [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:07:36 IST
Reason: SelfAttested

(कार्तिकेय मीणा)
सहायक कलेक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned with CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या:)95/2016 दायर दिनाँक 30.12.2016

वादी		प्रतिवादी
1. इन्द्रचन्द पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी पदमनियाबास डीडवाना जरिये आम मुख्त्यार सुनिल पुत्र इन्द्रचन्द निवासी पदमनियाबास डीडवाना तहसील डीडवाना, जिला नागौर राज.।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक 12.11.2021

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री समदर सिंह नाथावत वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद शेखाबासनी के खसरा सं0 313 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा जिसके साबिक खसरा सं0 245 रकबा 14 बीघा की खातेदारी वादी इन्द्रचन्द पुत्र भंवरलाल के घोषित की जाती है। तद्नुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत....................–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 12.11.2021 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:07:36 IST
Reason: SelfAttested

नोट:–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा ह... ...के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with CamScanner